संख्याः ५५६ /उन्तीस(2)/17–2(230 पे0)/2016

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 19 अप्रैल,2017

विषयः– **नाबार्ड की RIDF-XXII योजनान्तर्गत (फेस–2) के अन्तर्गत वित्त पोषित 08 पेयजल योजनाओं हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 255 I/01(110)/XXVII(1)/2016-17 दिनांक 23 मार्च,2017 एवं सहायक प्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड), उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, 113/2, राजपुर रोड़, देहरादून के पत्र संख्याः राबैं, उत्तराखण्ड/ 3617/ एडी (एलओएस) –15 /2016–17 दिनांक 23 मार्च,2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड की RIDF-XXII योजनान्तर्गत (फेस–2) के अन्तर्गत वित्त पोषित 08 पेयजल योजनाओं की 17% सेन्टेज सहित की कुल लागत रू0 11944.986लाख(रू0 एक अरब उन्नीस करोड़ चवालीस लाख अठानवे हजार छः सौ मात्र) के सापेक्ष पूर्व से अवमुक्त रू0 6682.700लाख(रू0 छियासठ करोड़ बयासी लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि को कम करते हुए, अवशेष रू0 5262.286लाख के सापेक्ष संलग्न सूची के कालम–6 में अंकित विवरणानुसार नाबार्ड द्वारा मोबिलिजेशन अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी रू0 1507.566लाख(रू0 पन्द्रह करोड़ सात लाख छप्पन हजार छः सौ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभिन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(viii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा

नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–102–ग्रामीण जलपूर्ति–98–नाबार्ड वित्त पोषित–01–नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं हेतु अनुदान (4215–01–102–05 से स्थान्तरित)–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सजृन हेतु मद के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– **H 1704130539** दिनांक 18 अप्रैल,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च,2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च,2017 के प्रस्तर–16 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–08 पेयजल योजनाओं की सूची।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0५५६ (1)/उन्तीस(2)/16–2(230 पे0)/2016,तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, 113/2, राजपुर रोड़, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्याः ५५५ /उन्तीस(2)/17–2(230 पे0)/2016 दिनांकः १७ अप्रैल,2017 का संलग्नकः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना की कुल लागत (रू0 17% सैन्टेज सहित)	वर्तमान तक अवमुक्त की गयी धनराशि	अवशेष	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जनपद अल्मोड़ा की चमड़खान पेयजल योजना का निर्माण कार्य।	1839.768	1273.280	566.488	170.205
2	जनपद अल्मोड़ा की चिलियानौला पम्पिंग पेयजल योजना।	2132.797	1486.000	646.797	194.493
3	जनपद टिहरी की सुरजकुण्ड पम्पिंग पेयजल योजना।	3489.609	1800.220	1689.389	490.212
4	जनपद नैनीताल की धानाचूली पम्पिंग पेयजल योजना।	275.085	117.140	157.945	30.774
5	जनपद अल्मोड़ा विकासखण्ड सोमेश्वर की नाईढौण पम्पिंग पेयजल योजना।	652.336	273.010	379.326	90.366
6	जनपद नैनीताल विकासखण्ड कालाढुंगी की देवलचौड़ खाम पेयजल योजना।	181.717	10.000	171.717	44.571
7	जनपद पौड़ी विकासखण्ड पोखड़ा की किमगढ़ी पेयजल योजना।	300.581	44.000	256.581	68.733
8	जनपद टिहरी विकासखण्ड कीर्तिनगर की कोटेश्वर शिल्काखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना।	3073.093	1679.050	1394.043	418.212
	योग	11944.986	6682.700	5262.286	1507.566

(महावीर सिंह)
उप सचिव।